(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3910–पीबीआर/2016 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 3911–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक कमशः 495/अपील/2012–13 एवं 496/अपील/2012–13

.....

1–नूरबानों पति इस्माईल खां

2–इरफान पिता इस्माईल खां

3–इमरान खां पिता इस्माईल खां

4–शेरबानों बी पिता इस्माईल खां

5–ताजबेगम पिता इस्माईल खां

निवासीगण ग्राम खामोद कमल्या

तहसील सांवेर जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती मुखत्यार बी पति इस्माईल खान

निवासी ग्राम खामोद कमल्या

तहसील सांवेर जिला इंदौर

..... अनावेदिका

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदकगण

श्री विजय गुप्ता, अभिभाषक–अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 25/7/17 को पारित)

यह दोनों निगरानियॉ आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खामोदकमल्या तहसील सांवेर जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 122, 124, 125, 225, 229/2 एवं 251 कुल रकबा 8.656 हेक्टेयर भूमि इस्माईल खां के नाम से राजस्व अभिलेखों में वर्ष 2010–11 तक दर्ज रही । इस्माईल खां की मृत्यु दिनांक 29–6–2012 को हो गई, अतः तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 33 पर दिनांक 12–10–12 को आदेश पारित कर आवेदकगण का वारिसाना नामान्तरण किया गया । तत्पश्चात् नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 35 पर बटवारा आदेश दिनांक 30–12–2012 पारित किया गया । अनावेदिका द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–12 एवं 30–10–12 के विरूद्ध दो पृथक पृथक प्रथम अपीलें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 28/अपील/12–13 एवं अपील प्र.कमांक 29/अपील/12–13 दर्ज कर दिनांक 26–3–13 को पृथक पृथक आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश यथावत् रखते हुये अपीलें निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध दो पृथक पृथक अपीलें अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा अपील प्रकरण कमांक 495/2012–13/अपील तथा प्रकरण कमांक 496/2012–13/अपील दर्ज कर दोनों अपीलों में दिनांक 29–10–2016 को संयुक्त आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में आवेदकगण के साथ अनावेदिका का नाम संयुक्त रूप से अंकित करने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह दोनों निगरानियॉ इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि अनावेदिका तहसीलदार के समक्ष पक्षकार नहीं थी और ना ही उसका प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व है, अतः उसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं ली गई है । इसके अतिरिक्त प्रथम अपील अवधि

बाह्य प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश है, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस स्थिति पर भी विचार नहीं किया गया है कि अनावेदिका द्वारा अपील में स्वयं को ग्राम खामोद कमल्या तहसील सांवेर जिला इंदौर की निवासी होना बताया गया है, जबकि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निर्वाचन नामावली में अनावेदिका को ग्राम साहूखेड़ी (बुरानाखेड़ी) तहसील व जिला इंदौर का निवासी दर्शाया गया है और उसका नाम उक्त ग्राम की कृषि भूमियॉ पर दर्ज है, जिसके संबंध में खसरों में नकल प्रस्तुत की गई है । इसके अतिरिक्त इस न्यायालय द्वारा भी जो सूचना पत्र जारी किये गये हैं उसमें भी इस बात की टीप अंकित है कि अनावेदिका ग्राम खामोद कमल्या में निवास नहीं करती है ।

(3) अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलें अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस स्थिति पर भी अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 49(3) पर बिना विचार किये एक मात्र ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर जिसे साक्ष्य से भी सिद्ध नहीं किया गया है, अनावेदिका को स्व0इस्माईल खॉ का वारिस मानकर स्वत्व निर्धारित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि स्वत्व के निर्धारण का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है ।

(5) अपर आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 2–7–1996 के आधार पर अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, क्योंकि संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत तहसीलदार को समस्त प्रकार की नामान्तरण की कार्यवाही करने क अधिकार था ।

तर्क के समर्थन में 1963 आरएन 132, 1966 आरएन 145, 2013 आरएन 118 एवं 1977 एमपीडब्ल्यूएन 215 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदिका के अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 33 पर पारित नामान्तरण आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, क्योंकि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ–7–7/सात/समन्वय/1994 दिनांक 2–7–1996 से तहसीलदार के अविवादित नामान्तरण के अधिकार ग्राम पंचायत को दे दिये गये हैं और तहसीलदार को अविवादित नामान्तरण करने के अधिकार नहीं रह गये हैं इसलिये तहसीलदार का आदेश अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित होकर शून्यवत् है ।

(2) तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 35 पर पारित आदेश भी अवैधानिक होकर अधिकारिता रहित आदेश है, क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बने बटवारा नियमों के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ।

(3) आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत यह तर्क इस स्तर पर विचारणीय नहीं है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपीलें अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब क्षमा हेतु तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण की ओर से उपरोक्त संबंध में आपत्तियॉ प्रस्तुत नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार है और उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, अतः अपील अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदिका हितबद्ध पक्षकार है क्योंकि वह मृतक भूमिस्वामी की पूर्व पत्नी है । इसके बावजूद भी आवेदकगण द्वारा कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर अपना नामान्तरण करा लिया गया है इसलिये भी अपील की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(5) अनावेदिका सतत् रूप से ग्राम खामोदकमल्या में अपने पति इस्माईल खां की मौजूदगी तक उसकी पत्नी बनाकर रही है और उसके उपरांत विधवा के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही है । उसका ग्राम खामोदकमल्या में निवास करने के आधार पर ही सम्पूर्ण जॉच उपरांत प्रकरण कमांक 305/बी–121/12–13 में दिनांक 2–2–2013 को आदेश पारित कर उसे पटटा प्रदान किया गया है ।

(6) मृतक भूमिस्वामी इस्माईल खॉ से अनावेदिका का तलाक हो चुका था, इस संबंध में कोई प्रमाण आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(7) मुस्लिम विधि के अनुसार तलाक का यथोचित कारण होना चाहिये और तलाक के पूर्व पुर्नमिलाप का प्रयास आवश्यक है । इन दो शर्तो की पूर्ति नहीं होने से अनावेदिका का तलाक मानने योग्य नहीं है ।

तर्क के समर्थन में 1995 आरएन 419, 1994 आरएन 395, 1988 आरएन 308, 1991 आरएन 290, 1994 आरएन 102 व 302, 1984 आरएन 146, 1981 आरएन 71 व 421, 2005 आरएन 225 व 146, 1972 आरएन 291, 1995 आरएन 27, 2016 आरएन 34, 1973 आरएन 19 एवं 1991 आरएन 309

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह निर्विवादित है कि तहसीलदार द्वारा पारित नामान्तरण आदेश में अनावेदिका पक्षकार नहीं है । इस संबंध में 2013 आरएन 118 शंकरसिंह विरूद्ध जगन्नाथसिंह में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

> *''धारा – 44 अपील का अधिकार – व्यक्ति कार्यवाही में पक्षकार नहीं – अपील की अनुमति के लिये आवेदन किये बिना उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है ।''*

अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनावेदिका को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं था । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 12–10–2012 एवं दिनांक 30–10–2012 के विरूद्ध पृथक–पृथक दो अपीलें दिनांक 27–12–2012

को अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई है और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस संबंध में 1977 एमपीडब्ल्यूएन 215 मध्यप्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरूद्ध स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ग्वालियर एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है –

'Limitation Act, 1963 - S. 5 - Condonation for delay - no application made delay cannot be condoned."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील अवधि बाह्य होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा साक्ष्य ली गई है और साक्ष्य से स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि फोटो निर्वाचन नामावली 2013 में ग्राम खामोदकमल्या में मृतक भूमिस्वामी इस्माईल खां के वारिसान आवेदकगण का नाम दर्ज है, अनावेदिका का नाम उक्त नामावली में दर्ज नहीं है । प्रकरण में जो गावंठी पंचनामा प्रस्तुत किया गया है उसमें भी स्व0इस्माईल खां के साथ आवेदकगण निवासरत बताये गये हैं और अन्य कोई वारिस नहीं दर्शाया गया है । मंडी समिति निर्वाचन 2012 की नामावली निर्वाचन क्षेत्र 46/6 लसुड़िया मोड़ी इंदौर के ग्राम साहूखेड़ी के अनुक्रमांक 370 पर मुख्त्यार बी पिता भूरे खॉ का नाम दर्ज है । अतः स्पष्ट है कि अनावेदिका ग्राम खामोद कमल्या में निवास नहीं करती है । जहॉ तक अनावेदिका के मृतक भूमिस्वामी इस्माईल खां के वारिस होने का प्रश्न है गावंठी पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस्माईल खॉ का निकाह पहले मुख्त्यार बी अनावेदिका से हुआ था, लेकिन निकाह के 15 दिवस बाद ही मुख्त्यार बी अपने रिश्तेदार के साथ अपने मायके चली गई थी और कभी वापिस नहीं आई । इसके पश्चात् भूमिस्वामी इस्माईल खॉ द्वारा नूरबानों से विवाह किया गया और वह इस्माईल खॉ के साथ अंतिम समय तक रही है, अतः इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक है कि अनावेदिका

मुख्त्यार बी का अपने पति इस्माईल खॉ से विवाह के 15 दिन बाद से ही लम्बे समय तक दूर रहना मुस्लिम लॉ के अनुसार तलाक की श्रेणी में आता है । उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी के वारिस की श्रेणी में नहीं आती है । अतः तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी इस्माईल खां के वारिसान आवेदकगण का नामान्तरण नामान्तरण पंजी पर करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है और तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा मुख्यतः इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि संहिता की धारा 110 के अधीन अविवादित नामान्तरण स्वीकृत करने की अधिकारिता तहसीलदार को नहीं होकर ग्राम पंचायत को है और संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है तथा अनावेदिका के ग्राम में निवास नहीं करने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है व मृतक भूमिस्वामी इस्माईल खां की पत्नी नहीं है । इस संबंध में अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी लिखित तर्क में मुख्य रूप से यही आधार उठाया गया है कि तहसीलदार को अविवादित नामान्तरण करने के अधिकार नहीं है और संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में जिस अधिसूचना कमांक एफ–7–7/सात/समन्वय/1994 दिनांक 2–7–1996 का उल्लेख किया गया है उसमें तहसीलदार को अविवादित नामान्तरण का आवेदन पत्र अग्राह्य करने की अधिकारिता नहीं है, परन्तु अविवादित नामान्तरण स्वीकृत करने की शक्तियॉ समाप्त नहीं की गई है । इस प्रकरण में प्रविष्टि पटवारी द्वारा की गई है और नामान्तरण तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसलिये तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश मान्य किया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है । इस संबंध में अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में उल्लिखित न्यायदृष्टांत भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं । संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत बटवारा

आदेश सहखातेदारों के मध्य पारित किया जाता है और यदि सहखातेदार आपस में सहमत है, तब नामान्तरण पंजी में बटवारा आदेश पारित करना तकनीकी आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है । इसके अतिरिक्त खहखातेदार बटवारा आदेश से संतुष्ट है और उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में प्रस्तुत अन्य न्यायदृष्टांत विचार योग्य नहीं रह जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2016 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–2013 तथा तहसीलदार, तहसील सांवेर जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–10–2012 एवं 30–10–2012 स्थिर रखे जाते हैं । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर